रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2007/पौष 15, 1928

No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2007/PAUSA 15, 1928

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2006

एफ-17/4/06-07.—भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 26 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन विनियमों का नाम प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 होगा ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम 1979, विनियम 2(ङ) में प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा ।

 '(ङ) धारा 14 (1) के अधीन परिवादी के मामले में "विषय" से कोई लेख, समाचार मद, समाचार रिपोर्ट या कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जो किसी भी रीति से किसी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया है या किसी समाचार अभिकरण द्वारा पारेषित किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई कार्टून चित्र, फोटोचित्र, सामग्री या कोई विज्ञापन शामिल है, जो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और अन्य विषयों से संबंधित परिवादों के मामले में "विषय" का सम्बन्ध ऐसी क्रिया या अक्रिया से है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती हो ।

3. विनियम 3 (1) और 3 (1) (क) के लिए, निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :

 (1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन किसी समाचार पत्र या समाचार-अभिकरण में किसी विषय के प्रकाशन के सम्बन्ध में परिषद् को कोई परिवाद करता है, तो वह परिवाद की दो प्रतियाँ फाइल करेगा और उल्लिखित प्रत्यर्थियों के लिए उसकी यथेष्ट प्रतियाँ भेजेगा, और

 (क) वह उस समाचार पत्र, समाचार-अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार का नाम और पता देगा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है और यदि परिवाद किसी समाचार पत्र में किसी विषय के प्रकाशन से संबंधित है या किसी अभिकरण द्वारा पारेषण से संबंधित है, तो परिवाद के साथ उस विषय की मूल कटिंग या उसकी एक स्वत: प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा जिसकी बाबत परिवाद किया गया है। साथ ही ऐसी विशिष्टियाँ भी देगा जो परिवाद की विषयवस्तु से सुसंगत है, और यदि परिवाद किसी विषय के अप्रकाशन से संबंधित है, तो उस विषय को मूल रूप में या उसकी एक स्वत: प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके अप्रकाशन की बाबत परिवाद किया गया है। (विषय का अंग्रेजी अनुवाद यदि वह किसी देशी भाषा में हो)।

4. विनियम 3 (1)(च)(ii) का उपबन्ध प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष का इस बाबत, समाधान हो जाता है कि परिवादी ने तत्काल कार्रवाई की है, किन्तु विनियम 3(1)(च) के उप-खण्ड (i) या उप-खण्ड (ii) के अधीन विहित अवधि के भीतर परिवाद निवेशित करने में विलम्ब, उक्त उप-खण्ड (ग) में अधिकथित शर्त के अनुपालन में लगे समय के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण हुआ है तो वह विलम्ब माफ कर देगा और परिवाद ग्रहण कर सकेगा ।

5. विनियम 4(1) और 4(2) प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :

(1) यदि परिवादी विनियम (3) की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, तो अध्यक्ष परिवाद पावती सहित रजिस्ट्री डाक से वापिस कर सकेगा और परिवादी से वह मांग कर सकेगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षाओं का अनुपालन करे और परिवाद को ऐसे समय के भीतर जो वह इस बाबत नियत करे, पुनः प्रस्तुत करे ।

(2) यदि परिवादी उसकी तामील हो जाने के चार सप्ताह के भीतर उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन न करे तो अध्यक्ष उस विषय में कार्रवाई बंद करने का निर्णय ले सकता है । परिषद् को उसकी अगली बैठक में इस निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा ।

6. विनियम 5 प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :

नोटिस जारी करना : (1) यथासाध्य शीघ्र और हर दृष्टि से पूर्ण परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के पश्चात् अध्यक्ष के निदेश के अधीन परिवाद की एक प्रति उस समाचार पत्र, समाचार-अभिकरण, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को भेजी जाएगी जिसके विरुद्ध विनियम 3 के अधीन परिवाद किया गया है । ऐसी प्रति के साथ ही एक नोटिस देकर तथा स्थिति, समाचार पत्र, समाचार-अभिकरण, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार से इस बाबत कारण बताने की अध्यपेक्षा की जाएगी कि अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई क्यों न की जाए । परंतु समुचित मामलों में अध्यक्ष, ऐसे नोटिस के जारी किए जाने के लिए समय में वृद्धि स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।

7. विनियम 14 के उपबन्ध में सन्निविष्ट कर दिया जायेगा :

परंतु परिवाद करने वाला व्यक्ति परिवाद की दो प्रतियाँ देगा और उल्लिखित प्रत्यर्थियों के लिए उसकी यथेष्ट प्रतियाँ भेजेगा, और

(क) प्रत्यर्थी (र्थियों) का पूरा विवरण देगा अर्थात् नाम, पदनाम तथा पूरा पता :

(ख) बताएगा कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की क्रिया/अक्रिया के लिए संभावित कारणों का उल्लेख करेगा, समर्थन में लिखित प्रमाण के साथ ।

यदि प्रत्यर्थी (र्थियों)/प्राधिकारियों की कार्रवाई समाचार-पत्र में प्रत्यर्थी (र्थियों) के प्रति आलोचनात्मक लेखन के लिए प्रतिशोध की भावना से की गई हो, तो उन रिपोर्टों की मूल कटिंग या स्वतः प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा । (यदि समाचार मद (दें) देशी भाषा में हो, तो अंग्रेजी अनुवाद)

(ग) प्रत्यर्थी (र्थियों)/ प्राधिकारियों का ध्यान परिवाद की ओर दिलाएगा और प्रत्यर्थी (र्थियों)/प्राधिकारियों को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा ।

यदि प्रत्यर्थी (र्थियों)/ प्राधिकारियों से कोई उत्तर आया हो तो उसकी एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा । परंतु अध्यक्ष स्वविवेकानुसार इस अपेक्षा से छूट दे सकता है ।

(घ) परिषद् के सामने सभी संबंधित तथ्य रखेगा, समर्थन में प्रलेखों सहित ।

(ङ) (i) परिवाद फाइल करने के लिए समय : कार्रवाई के कारण की तिथि से 4 माह तक ।

(ii) परंतु अध्यक्ष विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि माफी के लिए पर्याप्त कारण हैं ।

(च) ऊपर विनियम 3(2) में निर्धारित उद्घोषण लिखेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

परंतु यह और कि हर दृष्टि से पूर्ण ऐसा परिवाद प्राप्त होने पर अध्यक्ष के निदेश से उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है उत्तर में कथन के लिए नोटिस के साथ कि अधिनियम की धारा 15 (4) के अधीन इस विषय पर विचार क्यों न किया जाए । और उसके बाद उपर्युक्त विनियम 7-12 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

विभा भार्गव, सचिव

[विज्ञापन III/IV/149/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम 14 नवम्बर, 1979 को अधिसूचित किया गया ।

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2006

F-17/4/06-07.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 26 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India hereby makes the following amendments to the Press Council (Procedure for Inquiry) Regulations, 1979 :

1. **Short Title and Commencement :** (1) These Regulations may be called the Press Council (Procedure for Inquiry) (Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Press Council (Procedure for Inquiry) Regulations, 1979, Regulation 2 (e) shall be substituted as :

(e) "Matter" in the case of complaints under Section 14(1) means an article, news-item, news-report, or any other matter which is published by a newspaper or transmitted by a news agency by any means whatsoever and includes a cartoon, picture, photograph strip or advertisement which is published in a newspaper; and in the case of complaints relating to other matters, 'matter' relates to an action or inaction said to impinge upon the freedom of the press.

3. For Regulation 3(1) and 3(1)(a) the following shall be substituted, as :

(1) where a person makes a complaint to the Council in respect of the publication or non-publication of any matter in any newspaper or news agency, under Section 14(1) of the Act he shall file the complaint in duplicate with sufficient copies for the respondents listed and shall—

(a) furnish the name and address of the newspaper; news agency, editor or other working journalist against which or whom the complaint is preferred and in cases where the complaint relates to the publication of matter in a newspaper or to the transmission by a news agency, forward along with the complaint a cutting of the matter complained of in original or a self attested copy thereof and such other particulars as are relevant to the subject-matter of the complaint; and where the complaint is in respect of non-publication of matter, the original or a self attested copy of the matter, non-publication of which is complained of; (English translation of the matter if it is in vernacular)

4. Proviso to Regulations 3 (1)(f) (ii) shall be substituted as :

Provided that the Chairman may, if satisfied that the complainant has acted promptly, but that the delay in filing the complaint within the period prescribed under sub-clause (i) or sub-clause (ii) of Regulation (3)1(f) has been caused by reason of the time taken to comply with the condition laid down in sub-clause (c) supra or on account of other sufficient cause condone the delay and entertain the complaint.

5. Regulations 4(1) and 4(2) shall be substituted as:

(1) Where a complainant does not comply with the requirements of regulation 3, the Chairman may return the complaint under registered post acknowledgement due asking the complainant to bring it in conformity with such requirements and represent it within such time as he may deem fit in that behalf.

(2) Where a complainant fails to comply with the requirements within four weeks of service thereof, the Chairman may decide to close action in the matter. The Council shall, at its next meeting, be apprised of such decision.

6. Regulation 5 shall be substituted as :

Issue of Notice: (I) As soon as possible, and in any case not later than forty five days from the date of receipt of a complaint complete in all respects, under the direction of the Chairman, a copy thereof shall be sent to the newspaper, news agency, editor or other working journalist against which or whom the complaint has been made, under regulation 3 along with a notice requiring the newspaper, news agency, editor or other working journalist, as the case may be, to show cause why action should not be taken under Section 14 of the Act. Provided that inappropriate cases the Chairman shall have the discretion to extend time for the issuance of the notice.

7. Proviso to Regulation 14 shall be inserted, as :

Provided that a person making such a complaint shall make the complaint in duplicate with sufficient copies for the respondents listed and shall :—

(a) Give complete particulars of the respondent(s) viz., name, designation and complete address.

(b) State how the action/inaction of the respondent authorities amounts to curtailment of the freedom of the press. Mention the possible reason for the action/inaction of the respondent(s)/authorities duly supported by documentary evidence.

—In case the action of the respondent(s)/authorities is a reprisal measure for writings in the newspaper, critical of the respondent'(s), the cuttings of such reports be furnished in original or as self attested copies. [English translation, if the news item(s) is in vernacular].

(c) Draw the attention of the respondent(s)/authorities towards the grievance and furnish a copy of the letter written to the respondent(s)/authorities.

Furnish a copy of the reply, if any, received from the respondent(s)/authorities. Provided that the Chairman may waive this requirement in his discretion.

(d) Place before the Council all relevant facts along with the supporting documents.

(e) (i) Time for filing complaint: 4 months from the date of cause of action.

(ii) Provided that the Chairman may condone the delay if he is satisfied that there exist sufficient reasons for such condonation.

(f) Make and subscribe to the declaration prescribed in Regulation 3(2) supra.

Further provided that on receipt of such complaint, complete in all respects, under the direction of the Chairman, a copy thereof shall be sent to the authority against whom the complaint has been made along with a notice for statement in reply as to why the matter does not warrant observation under Section 15(4) of the Act. That the procedure specified in Regulation 7-12 above shall thereafter be adopted.

VIBHA BHARGAVA, Secy.

[ADVT. III/IV/149/2006/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations were notified on November 14, 1979.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.